वर्ष 2020-21 के लिए परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2022 की रिपोर्ट संख्या 4 के मुख्य शब्द

अध्याय 1

प्रस्तावना

संगठनात्मक संरचना, परिचालन और नियामक विंग के कार्य, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति, लेखापरीक्षा परिणामों का संगठन

अध्याय 2

वित्तीय और परिचालन निष्पादन

वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम, निधि प्रबंधन, कुशल, किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित तथा पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सेवाएं प्रदान करना, निर्मित बसों की खरीद, निर्माण, संरचना तथा बसों का वितरण, बसों का रखरखाव, श्रमशक्ति लागत और उत्पादकता, किराया नीति, गैर-यातायात प्राप्ति, अंतर्राज्यीय मार्गों पर यातायात प्राप्तियां

अध्याय 3

सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण

निधि प्रबंधन, माल और यात्री परिवहन वाहनों के मालिकों से मोटर वाहन कर की वसूली, मोटर वाहन कर के लंबित होने के बावजूद परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण, गैर-परिवहन वाहन, सरकारी राजस्व को खजाने में जमा करना, अन्य अनियमितताएं, सड़क सुरक्षा, वाहन प्रदूषण

अध्याय 4

आंतरिक नियंत्रण

रोडवेज, सड़क पर पर्याप्त बस बेड़े, सार्वजनिक परिवहन में रोडवेज की घटती हिस्सेदारी, पुराना बेड़ा, वाहन उत्पादकता में गिरावट, लोड फैक्टर, निर्धारित किलोमीटर का संचालन न करना, मानकों से ऊपर ईंधन की खपत पर अपर्याप्त नियंत्रण और ईंधन दक्षता में गिरावट के प्रोफार्मा खाते

अध्याय 5

निष्कर्ष और सिफारिशें

डीलरों/वाहनों के विनिर्माताओं से व्यापार शुल्क की वसूली न करना, प्रशिक्षण स्कूल चलाने वाले वाहनों से लाइसेंस शुल्क उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट न लगाना, वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न करना, प्रदूषण नियंत्रण केंद्र द्वारा सीएमवीआर 1989 के प्रावधानों का पालन न करना